न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला-पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 35/2000
GCMS NO. : 2000/00005

-:: प्रार्थी ::-

1. धाराराम पुत्र बोदूराम
जाति- जाट, निवासी- आ0 कालू,
तहसील- जैतारण, जिला- पाली,
राज0।

बनाम

-:: अप्रार्थीगण ::-

1. भैंवरराम पुत्र बोदूराम
2. दुर्गाराम पुत्र बोदूराम
3. गोविन्द पुत्र बोदूराम
जाति- जाट, निवारी- आ0 कालू,
तहसील- जैतारण, जिला- पाली,
राज0।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं आदेश 39 नियम 01 व 02 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

तारीख रजू: 13/06/2000

उपस्थितः. 1. श्री चावण्ड दान बारहठ, अधिवक्ता, प्रार्थी।
2. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

-:: निर्णय ::- **दिनॉकः 02/03/2021**

वकील मय प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा आ0 कालू चक नम्बर 2 में सायल एवं गैरसायलान की शामलाती खातेदारी व कब्जा काश्त की निम्न आराजी वाके है जिसका विवरण निम्न है- खसरा नम्बर 163 रकबा 02-18 बीघा किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर 395 रकबा 09-08 बीघा किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर 398 रकबा 07-03 बीघा किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर 278 रकबा 21-12 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 956 रकबा 40-01 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 109 रकबा 20-10 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 300 रकबा 04-05 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 306 रकबा 02-15 बीघा किस्म बारानी अव्वल, उपरोक्त सभी आराजीयात में सायल व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 रेकॉर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है व सभी की शामलाती जमीन है सभी के खाते शामिल है, लगान शामिल है व सभी अपनें हिस्से अनुसार काश्त करते है उपरोक्त कृषि भूमि की जमाबन्दी व खतौनी की प्रमाणित नकलें प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की जा रही है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 01 एक में वर्णित भाग (अ) की [illegible] भूमि में सायल धाराराम व गैरसायल 1 से 3 व प्रतिवादी 4 [illegible] सायल की माता मुस्मात पतासी एवं निहाल का 2/3 हिस्सा है जिसमें सभी [illegible] हिस्सा है 1/3 हिस्सा सैणी बेवा भागू का है। मृतक बोदू का 1/3 हिस्सा है जिसे सायल व गैर सायल संख्या 1 से 3 व उसके माता पतासी काबिज है व इसी भूमि के 1/3 का 1/5 यानि कुल का 1/15 हिस्सा सायल का है इसी प्रकार वाद के संख्या 1 से 3 व उसकी माता व प्रतिवादी निहाल व प्रतिवादी सेणकी का 1/2 हिस्सा व 1/2 हिस्सा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.07.01 17:40:01 IST
Reason: SelfAttested

पूना, चौथा प्रताप के उत्तराधिकारीगण प्रतिवादी संख्या 6 से 15 का का 1/2 हिस्सा के 1/2 के 1/3 हिस्सा यानि कुल का 1/6 हिस्सा का 1/5 यानि कुल 1/30 हिस्सा हिस्सा वादी का है इसी प्रकार दावे के पद संख्या 1 में वर्णित भाग स में कृषि भूमि में सायल व गैर सायल संख्या 1 से 3 व उसकी माता का 1/3 हिस्सा प्रतिवादी निहाल का 1/3 हिस्सा सेणकी का 1/3 हिस्से व मृतक बोदू के 1/3 के 1/5 हिस्से यानि कुल का 1/15 हिस्सा सायल का है। इसी प्रकार वाद के पद संख्या 1 के वर्णित भाग द की कृषि भूमि में 1/2 हिस्सा जोगा का है व 1/2 का 2/3 हिस्सा मृतक बोदू का था व 1/2 का 1/3 हिस्सा प्रतिवादी ढगला का है इस प्रकार वादी का इस जमीन में 1/2 के 2/3 के 1/5 हिस्से पर सायल काबिज व काश्त करता है व इस प्रकार दावें के पद संख्या 1 में वर्णित भाग य में कृषि भूमि के 1/2 हिस्सा प्रतिवादी प्रतिवादी संख्या 18 से 23 का है व 1/2 हिस्सा सायल व गैर सायल संख्या 1 से 3 व उसकी माता का है। इसी हिस्से अनुसार सभी काश्त करते है व काबिज है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि में सायल व गैर सायल संख्या 1 से 3 के पिता व प्रतिवादी संख्या 4 पतासी के पति बोदू पुत्र हाथी की थी और उनकी मृत्यु होनें के बाद उसके उत्तराधिकारी के रूप में सायल व गैर सायलान व पतासी काबिज है व काश्त करते हैं। गैर सायल संख्या 1 से 3 की नियत खराब है। सायल के हिस्से की भूमि से गैरसायलान लड़ाई झगड़ा कर बेदखल करनें पर आमादा है व यदि गैर सायलान द्वारा ऐसा किया तो सायल को असीम हानि होगी उसकी क्षति पूर्ति गैरसायलान किसी सूरत में अदा नहीं कर सकेगें। सायल को बार बार दीवानी व फौजदारी मुकदमें करनें पड़ेगें। जिससे मल्टीप्लेसिटी ऑफ प्रोसिंडिग होगी इसलिए सायल गैर सायल के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करनें का अधिकारी है इसलिए स्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र बहस सायल विरूद्ध गैरसायलान के पेश किया जा रहा है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना मय शपथपत्र व दस्तावेजात के पेश कर निवेदन है दरख्वास्त के पद संख्या एक में वर्णित कृषि भूमि व प्रार्थना पत्र के पद संख्या 2 में वर्णित हिस्से अनुसार सायल के हिस्से की कृषि भूमि में काश्त करें व करवावें तो गैर सायलान किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें व न करवावें तथा दावें के निर्णय तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से गैरसायलान को रोका जावें।

इस पर प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान् को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण को बार बार आवाजें दिलाई गई एवं बावजूद नोटिस तामिल/सूचना के अनुपस्थित रहनें से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। बहस वकील वादी/प्रार्थी की सुनी गई।

बहस वकील प्रार्थी राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर [illegible] गई। पत्रावली मय दस्तावेजात, गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली पर [illegible] दस्तावेजात के अवलोकन व विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का [illegible] निम्नानुसार हैः–

(01) प्रथम दृष्ट्या मामला :– वादग्रस्त आराजी प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की सयुंक्त शामलाती अविभाजित सहखातेदारी भूमि है, प्रार्थी द्वारा इसके कानूनन बंटवाड़ा हेतू न्यायालय हाजा में वाद प्रस्तुत किया जो जैरकार है। प्रार्थी द्वारा यह कथन किया गया है कि अप्रार्थी संख्या 01 से 03 प्रार्थी को बेदखल करनें के लिये आमादा है। चुंकि

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.07.01 17:40:01 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

वादग्रस्त आराजी प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की सहखातेदारी भूमि है तथा ऐसी भूमि पर प्रत्येक सहखातेदार का अपने हक हिस्से तक समान रूप से कब्जा काश्त माना जाता है। अतः प्रार्थी का यह कथन कि वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में प्रथम दृष्टया मामला केवल उसी के पक्ष में निहित है, विश्वास योग्य नहीं है। अतः यह बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता है।

(02) सुविधा का संतुलन :- प्रथम दृष्ट्यां मामला प्रार्थी के विरुद्ध साबित हो चुका है तथा प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई विश्वसनीय तथ्य एवं दस्तावेजात् प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह साबित हो की वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में सुविधा का सतुंलन केवल प्रार्थी के पक्ष में ही निहित है। अतः यह बिन्दू प्रार्थी के विरुद्ध साबित होता है।

(03) अपूर्णनीय क्षति :- प्रथम दृष्ट्यां मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के विरुद्ध साबित हुए है, साथ ही प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह साबित हो कि प्रार्थी के पक्ष में यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो उसे किस प्रकार से अपूर्णनीय क्षति होनें की पूर्ण आशंका है। अतः यह बिंदू भी प्रार्थी के विरुद्ध साबित होता है।

अतः उपर्युक्त बिंदूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थी प्रार्थना-पत्र साबित करनें में पूर्णतया विफल रहे हैं, अतः प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किया जाना पूर्णतया विधि सम्मत् एवं उचित रहेगा।

-: आदेश :-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना-पत्र प्रार्थी/वादी अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली-भाँति साबित न होनें एवं सारहीन होनें से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी निमित निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

निर्णय आज दिनॉक 02/03/2021 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.07.01 17:40:01 IST
Reason: SelfAttested